न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,

सदस्य.

.....

प्रकरण कमांक आर.एन./4–1/आर/351/95 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–1–95 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 176/93–94/निगरानी.

.....

जगदेव सिंह दत्तक पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह
निवासी ग्राम अंगूरी, परगना
व जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——— अनावेदक

.....

श्री एस. के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक ।

श्री डी.के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9 – 9 –2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 176/93–94/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–1–95 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जगन्नाथ सिंह द्वारा न्यायालय तहसीलदार भिण्ड के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि उसे ग्राम वगुलरी की भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ है और उक्त भूमि पर बांध बनवा चुका है भूमि

काबिल काश्त करली गई है । अतः सरकारी कागजात में उसे भूमिस्वामी अंकित किया जाये । आवेदक ने उस पर आपत्ति पेश की । इसके पश्चात प्रकरण में आपत्तिकर्ता आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई के आदेश हुए । उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु उसने संहिता की धारा 35(3) का आवेदन दिया जो दिनांक 21–6–90 द्वारा अमान्य किया गया । इस आदेश के विरूद्ध एस.डी.ओ. के समक्ष अपील हई । प्रकरण में सुनवाई के दौरान जगन्नाथ की मृत्यु हो जाने से यह आवेदन पेश किया गया कि वह जगन्नाथ सिंह का दत्तक पुत्र होकर वारिस है अतः जगन्नाथसिंह के स्थान पर उसका नाम स्थापित किया जाये । भगवानसिंह द्वारा एक अन्य आवेदन पेश कर यह निवेदन किया कि जगन्नाथसिंह द्वारा जगदेव के पक्ष में जो वसीयतनामा किया गया था वह बाद में निरस्त किया गया अतः भगवानसिंह के पक्ष में की गई वसीयत को मान्य किया जाकर भगवानसिंह को ही मृतक जगन्नाथ सिंह का वारिस माना जाये ।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में जगदेवसिंह व भगवानसिंह को पक्षकार मानकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश पारित किया जाये । प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में कार्यवाही के दौरान आवेदक ने एक आवेदन पेश किया कि एस.डी.ओ. ने उन्हें 27–8–91 के आदेश द्वारा जगदेव को जगन्नाथ का दत्तक पुत्र मान्य किया है अतः उसे दत्तक पुत्र माना जाये । इसका विरोध भगवानसिंह ने किया । विचारोपरांत विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 2–11–92 द्वारा जगदेव का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने निरस्त की । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर प्रार्थना नहीं की थी बल्कि दत्तक पुत्र के आधार पर नामांतरण की प्रार्थना की थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में आवेदक को मृतक जगन्नाथ का दत्तक पुत्र मान्य न करना रिकार्ड के विपरीत है । ऐसी आपत्ति भी किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी । फिर भी भगवानसिंह को पक्षकार मानकर प्रकरण का निराकरण करना अधिकार क्षेत्र के बाहर है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से अधीनस्थ न्याालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27–8–91 द्वारा आवेदक को दत्तक पुत्र मान्य नहीं किए है केवल प्रकरण पुर्नस्थापित किया है और जगदेवसिंह एवं भगवानसिंह को पक्षकार मानकर सुनवाई के निर्णय दिए हैं । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का दत्तक पुत्र मानने संबंधी आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर